

कार्यालय जिला रसद अधिकारी (प्रथम), उदयपुर

क्रमांक:—एफ 32()/रसद/एफ.पी.एस. नियुक्ति/विज्ञप्ति/2026/५६१

दिनांक:— .04.2026

पुनः विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त उचित मूल्य दुकानों पर उचित मूल्य दुकानदार नियुक्ति के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु कार्यालय की पूर्व रिक्त दुकानों की विज्ञप्ति दिनांक 28.11.2025 क्रमांक 1184 द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। किन्तु पात्र आवेदक नहीं आने, कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण रिक्त रही उचित मूल्य दुकानों पर इच्छुक एवं पात्र आवेदकों की नियुक्ति हेतु पुनः विज्ञप्ति जारी की जाती है।

इस हेतु विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक एफ 17(1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं क्रमांक एफ 17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशन के तहत रिक्त उचित मूल्य दुकानों हेतु नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 15.04.2026 से (राजकीय अवकाश को छोड़कर) कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय प्रथम, उदयपुर में 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किए जा सकते हैं एवं अंतिम दिनांक 30.04.2026 (सांय 06.00 बजे तक) तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाये जा सकेंगे।

जिला रसद कार्यालय प्रथम, उदयपुर हेतु रिक्त उचित मूल्य दुकानों की सूची निम्नानुसार है:-

नॉन टीएसपी क्षेत्र					
क्र. सं.	नाम तहसील/ब्लॉक	ग्राम पंचायत/वार्ड	रिक्त उचित मूल्य दुकान का नाम	एफपीएस कोड	आरक्षण की स्थिति
1	बड़गांव	बड़ी	बड़ी	4500	महिला आरक्षित
2	बड़गांव	वाटी बी	वाटी बी	4561	महिला आरक्षित
3	फतेहनगर सनवाड़	फतेहनगर सनवाड़	वार्ड-11	28818	अनारक्षित
4	वल्लभनगर	गोटिपा	मुण्डोल	4828	अनारक्षित
5	भीण्डर	वाणिया तलाई	वाणिया तलाई	4788	अनारक्षित
6	भीण्डर	सवना	सवना	27813	महिला आरक्षित
7	भीण्डर	कुंथवास	कुंथवास	4770	महिला आरक्षित
8	भीण्डर	वार्ड-01	वार्ड-01	26549	अनारक्षित
9	भीण्डर	वार्ड-02	वार्ड-02	26544	महिला आरक्षित
10	उदयपुर	वार्ड 22 पुराना / 37 नया	वार्ड 22 पुराना / 37 नया	27186	अनारक्षित
11	उदयपुर	वार्ड 24 पुराना / 56 नया	वार्ड 24 पुराना / 56 नया	27192	अनारक्षित
12	उदयपुर	वार्ड 13 पुराना / 51 नया	वार्ड 13 पुराना / 51 नया	27170	महिला आरक्षित
13	उदयपुर	वार्ड नं. 37 पुराना / 31 नया	वार्ड नं. 37 पुराना / 31 नया	27201	अनारक्षित
14	उदयपुर	वार्ड नं. 35 पुराना / 45 नया	वार्ड नं. 35 पुराना / 45 नया	20774	महिला आरक्षित
15	उदयपुर	वार्ड नं. 40 पुराना / 15 नया	वार्ड नं. 40 पुराना / 15 नया	27905	अनारक्षित

Validity unknown

Digitally signed by Manish Bhatnagar
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.04.13 18:51:40 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21589182
eSign 1.0



टीएसपी क्षेत्र					
क्र. सं.	नाम तहसील/ब्लॉक	ग्राम पंचायत/वार्ड	रिक्त उचित मूल्य दुकान का नाम	एफपीएस कोड	आरक्षण की स्थिति
1	भीण्डर	भोपाखेड़ा	भोपाखेड़ा	4779	अनारक्षित महिला
2	गिर्वा	कानपुर	कानपुर-ए	28802	अनारक्षित
3	गिर्वा	देवाली	नेला	4464	अनारक्षित
4	बारापाल	बलीचा	सेठजी की कुण्डाल	4378	अनारक्षित
5	कुराबड़	कुराबड़	कुराबड़-ए	4433	अनु. जनजाति
6	कुराबड़	साकरोदा	साकरोदा	4457	अनु. जनजाति
7	कुराबड़	वल्लभ	वल्लभ	4381	अनु. जनजाति
8	कुराबड़	साकरोदा	पाड़ा खादरी	4458	अनु. जनजाति
9	कुराबड़	बेमला	बेमला	4387	अनारक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17 (1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा-निर्देश तथा रिक्त प्रस्तावित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय प्रथम उदयपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताएं निम्नानुसार होगी -

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी, जिसमें उचित मूल्य दुकान स्थित है।
उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान की आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा, यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के छ माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।
3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें छः माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में ही मापदण्ड पूर्णता अवधि राज्य सरकार/जिला कलक्टर द्वारा अधिकतम छः माह बढ़ायी जा सकेगी। यदि घोषणा पत्र के अनुसार प्रतिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो प्राधिकार पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित संतान होने से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य

आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाये।

5. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 गुना 20 बराबर 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्लूप्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
6. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणापत्र लिया जावेगा –
 - आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
 - आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
 - आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता-पिता पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।
 - आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
 - आवेदक बालिग एवं स्वस्थचित्त है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
 - आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/- रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25,000/- होना आवश्यक है।
8. आवेदक द्वारा दी गई सूचनाएं गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
9. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव हो। महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के संबंध में निम्न आधार होंगे:-
 - समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
 - समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।
 - समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेन-देन में संलग्न हो।
10. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
12. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।
उक्त रिक्तियों में कमी/बढ़ौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
13. सभी रिक्त/अतिरिक्त दुकानों हेतु आवेदन निर्धारित अवधि में पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदको को कार्यालय में जमा करवाने होंगे। पूर्व में जारी विज्ञप्ति के तहत जमा आवेदन पत्र मान्य नहीं हैं।

(मनीष भटनागर)

जिला सहाय अधिकारी
उदयपुर

Validity unknown

Digitally signed by Manish
Bhatnagar

Designation : District Supply Officer

Date: 2026.04.13 18:51:40 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21589182

eSign 1.0

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट food.raj.nic.in पर अपलोड करावे।
5. माननीय सांसद महोदय उदयपुर/चित्तौड़गढ़।
6. माननीय विधायक महोदय समस्त जिला उदयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी प्रथम उदयपुर
8. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला उदयपुर।
9. तहसीलदार समस्त जिला उदयपुर।
10. आयुक्त नगर निगम उदयपुर।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला उदयपुर।
12. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका समस्त जिला उदयपुर।
13. प्रबंधक राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम उदयपुर।
14. उप निदेशक, जिला सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
उदयपुर

RajKaj Ref No.:
21589182
eSign 1.0

Validity unknown
Digitally signed by Manish
Bhatnagar
Designation : District Supply Officer
Date: 2026.04.13 18:51:40 IST
Reason: Approved